

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक- 27.07.2024

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप मे 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा, 01 अदद आलमारी व चोरी की 01 बण्डल कालीन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -247 /24 धारा 303(2)BNS से संबंधित अभियुक्त राजकुमार महतो पुत्र अवध किशोर महतो निवासी वार्ड न0- 5 छोटा तुमडिया टोला रक्सौल थाना हरैया जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार हा0मु0 हड़हवा फाटक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा, चोरी की 01 अदद आलमारी व चोरी की 01 बण्डल कालीन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उनके द्वारा ई-रिक्शा पर कालीन व आलमारी लादकर व स्वयं बाईक से पाण्डेय हाता से अपने घर लाया जा रहा था इसी बीच पैडलेगंज चौराहे से वह रिक्शा वादी को दिखाई नहीं दे रहा था। काफी खोजबीन के बाद भी रिक्शा नहीं मिला। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजकुमार महतो पुत्र अवध किशोर महतो निवासी वार्ड न0- 5 छोटा तुमडिया टोला रक्सौल थाना हरैया जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार हा0मु0 हड़हवा फाटक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 -247 /24 धारा धारा 303(2), 317(2) BNS थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा, चोरी की एक अदद अलमारी व एक बण्डल कालीन

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0उ0नि0 मो0 शादाब थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. प्र0उ0नि0 विकास कुमार यादव थाना राजघाट गोरखपुर
3. का0 मनोज चौधरी थाना राजघाट गोरखपुर
4. का0 सनद जयसूर्या थाना राजघाट जनपद गोरखपुर